प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2023**...............

2. प्र.इ.रि.सं...263/23......./**2023**............ दिनांक 01-10-2023...........

(I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018**..

धारा – **7, 7ए,**

(II) * अधिनियम – **भा.द.सं.** धारा – **120 बी** ....

(III) * अधिनियम..............................–........................ धाराएं.....................–.........................

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–..

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....11......................समय.........1:00 PM...................

(ब) अपराध घटने का दिन व समय– गुरूवार **दिनांक 21.09.2023 वक्त 04:51 पी.एम.**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ......18.09.2023 वक्त 05.00 पी.एम..... ......

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – हस्त **लिखित**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर–पश्चिम करीब 82 किमी

(ब) पता – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर

बीटसंख्या......–.............जुरायमदेही सं..........................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–.................................

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – **श्री भंवरलाल**

(ब) पिता/पति का नाम – **श्री बिशनाराम**

(स) जन्म तिथि/आयु – **42** वर्ष

(द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**

(य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....

(र) पेशा – कृषि कार्य

(ल) पता – **निवासी गांव पूगल, पुलिस थाना पूगल जिला बीकानेर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. **श्री गोविन्द प्रसाद ओझा पुत्र श्री छगनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर पुलिस थाना बीछवाल हाल निजी सहायक–।। अतिरिक्त चार्ज पेशकार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर।**
2. **श्री नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, जाति नायक, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव खारा तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूगल हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर।**
3. **श्री अली खां पुत्र श्री युसुफ खां, जाति मुसलमान, उम्र 44 साल, पेशा चालक, निवासी भणावतवाला, पुलिस थाना पूगल, जिला बीकानेर, हाल आर डी 682, पुलिस थाना पूगल, हाल वाहन चालक (प्राईवेट/अस्थायी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...

11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–..

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 18.09.2023 को वक्त 05.10 पीएम पर श्रीमान् महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी अधिकारी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार को अपने कक्ष मे बुलाकर अपने पास बैठे व्यक्ति को परिवादी होना बताते हुए परिचय करवाया तथा परिवादी का नाम श्री भंवरलाल पुत्र श्री बिशनाराम, जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, पेशा कृषि कार्य, निवासी गांव पूगल, पुलिस थाना पूगल, जिला बीकानेर होना बताया। परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा ब्यूरो कार्यालय बीकानेर में हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात के इस आशय की पेश गई कि "सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर। विषय:– सरकारी कर्मचारी गोविन्द बाबू को रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों पकड़वाने के संबंध में। महोदय जी, निवेदन है कि चक 11 M S M

तहसील पूगल जिला बीकानेर के मु.नं. 195/63, 195/64 तथा 195/57 की कुल 50 बीघा भूमि अनकमांड श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव मोची, उसकी पत्नि श्रीमती जसोदा पत्नि श्री किशनलाल मोची के नाम से 1990 में कृषि भूमि पुख्ता आबंटन हुई थी। जिसमें से मैंने जरिये इकरारनामा दिनांक 31.12.2014 के 31 बीघा भूमि को खरीद कर लिया है। उक्त भूमि का मुझे मुख्त्यार आम भी नियुक्त कर रखा है। मैंने उक्त भूमि का पट्टा लेने हेतु दिनांक 30.12.2014 को 20 प्रतिशत राशि 1,01,850 रुपये जरिये इकरार चालान जमा करवाई। उसके बाद मेरे द्वारा दिनांक 21.06.2023 को शेष राशि 3,46,290 रुपये भी जरिये इकरार चालान जमा करवाई गई। दिनांक 22.06.2023 को उक्त जमीन का पट्टा बनवाने के लिए मैंने तहसील स्तर से कागजात तैयार करके पेश कर दिए, जिसमें जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी एसडीएम कार्यालय पूगल का बाबू श्री गोविंद पट्टा देने के बदले में मेरे से रिश्वत राशि 25,000/– रुपये की मांग कर रहा है। करीब 5–7 दिन पहले जब उसने मेरे पर दबाव बनाया तो मैंने 5,000/– रुपये बतौर रिश्वत उसे दे भी दिये। मगर अब श्री गोविंद बाबूजी ने मुझे बताया है कि पट्टा भरकर मैंने तैयार कर रखा है। एसडीएम साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। एसडीएम साहब रुपयों की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार पट्टा देने की एवज में एसडीएम साहब का नाम लेकर श्री गोविंद बाबूजी मेरे से और 20,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा श्री गोविंद बाबू जी से उधारी का कोई लेन–देन नहीं है। ना ही मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है। प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 18.09.2023 भवदीय –एसडी– भंवरलाल पुत्र श्री बिशनाराम जाति मेघवाल निवासी पूगल जिला बीकानेर मो.नं. 9024584464" इस रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम विधिक कार्यवाही करने के लिए सुपुर्द करने पर परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम का अवलोकन कर परिवादी श्री भंवरलाल को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित हुआ। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि आपके कार्यालय में पेश रिपोर्ट मेरे द्वारा ही हस्तलिखित है तथा इस पर मेरे ही हस्ताक्षर है। फिर से पूछने पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि चक 11 M S M तहसील पूगल जिला बीकानेर के मुरब्बा नंबर 195/63, 195/64 तथा 195/57 की कुल 50 बीघा भूमि अनकमांड श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव मोची, उसकी पत्नि श्रीमती जसोदा पत्नि श्री किशनलाल मोची के नाम से 1990 में कृषि भूमि पुख्ता आबंटन हुई थी। जिसमें से मैंने जरिये इकरारनामा दिनांक 31.12.2014 के 31 बीघा भूमि को खरीद कर लिया है। उक्त भूमि का मुझे मुख्त्यार आम भी नियुक्त कर रखा है। मैंने उक्त भूमि का पट्टा लेने हेतु दिनांक 30.12.2014 को 20 प्रतिशत राशि 1,01,850 रुपये जरिये इकरार चालान जमा करवाई। उसके बाद मेरे द्वारा दिनांक 21.06.2023 को शेष राशि 3,46,290 रुपये भी जरिये चालान जमा करवाई गई। दिनांक 22.06.2023 को उक्त जमीन का पट्टा बनवाने के लिए मैंने तहसील स्तर से कागजात तैयार करके पेश कर दिये, जिसमें जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी एसडीएम कार्यालय पूगल का बाबू श्री गोविंद पट्टा देने के बदले में मेरे से रिश्वत राशि 25,000/– रुपये की मांग कर रहा है। करीब 5–7 दिन पहले जब उसने मेरे पर दबाव बनाया तो मैंने 5,000/– रुपये बतौर रिश्वत उसे दे भी दिये। मगर अब श्री गोविंद बाबूजी ने मुझे बताया है कि पट्टा भरकर मैंने तैयार कर रखा है। एसडीएम साहब के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। एसडीएम साहब रुपयों की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार पट्टा देने की एवज में एसडीएम साहब का नाम लेकर श्री गोविंद बाबूजी मेरे से और 20,000/– रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए उसे रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरा श्री गोविंद बाबू जी से उधारी का कोई लेन–देन नहीं है, ना ही मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश है। प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें। रिपोर्ट परिवादी एवं दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाया जाता है। अतः आईन्दा रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाकर तदनुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

दिनांक 18.09.2023, वक्त 06.10 पीएम पर परिवादी श्री भंवरलाल को संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग संबंधी गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करवाने बाबत् बताने पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि आज मैंने श्री गोविंद बाबूजी की उपखण्ड कार्यालय पर उपस्थिति के बारे में गोपनीय सूत्रों से पता करवाया तो मालूम हुआ है कि वह 2–3 दिन पूगल से बाहर है। जब भी श्री गोविंद बाबू जी एसडीएम कार्यालय पर आयेंगे, मैं चलकर उनसे रूबरू मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर कार्यालय हाजा से ब्यूरो कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादी श्री भंवरलाल को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू, बंद व वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से भली–भांति अवगत करवाया गया। वार्ता रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया समझाने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस

रिकॉर्डर व नया मेमोरी कार्ड पुनः कार्यालय हाजा में जमा करवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री भंवरलाल को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर प्रदान किये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल को संदिग्ध कर्मचारी श्री गोविंद बाबू के उपखण्ड कार्यालय पूगल पर उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल सूचित करने हेतु पाबंद किया गया ताकि परिवादी व संदिग्ध कर्मचारी के मध्य रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय से स्टाफ को भेजकर सत्यापन कार्यवाही करवाई जा सके। परिवादी श्री भंवरलाल को बताया गया कि जब भी उनके द्वारा कॉल कर सूचना दी जायेगी, तब सत्यापन वार्ता हेतु किसी भी ब्यूरो कार्मिक को भेज दिया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक आपसे जरिये मोबाइल संपर्क कर लेगा। परिवादी श्री भंवरलाल को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया तथा कार्यवाही के हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किये गये।

दिनांक 21.09.2023, वक्त 08:04 एएम पर परिवादी श्री भंवरलाल ने अपने मोबाइल नंबर 90245–84464 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि आज संदिग्ध कर्मचारी श्री गोविंद बाबू जी उपखण्ड कार्यालय पर आने की संभावना है। मैं उनसे रूबरू मिलकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। आप किसी एसीबी कर्मचारी को सत्यापन वार्ता हेतु भेजें। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा थोड़ी देर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु संबंधित एसीबी कार्मिक को भेजते समय परिवादी श्री भंवरलाल को कॉल करके अवगत करवाने के संबंध में बताया गया। **वक्त 10:05 ए.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को अपने कक्ष में बुलाकर कार्यालय हाजा से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर तथा नया मेमोरी कार्ड मंगवाया। तत्पश्चात् ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित किया गया। तत्पश्चात् श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर दी गई रिपोर्ट के तथ्यों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् कानिस्टेबल को परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाये गये। इसके बाद श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित नया मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया तथा कानिस्टेबल को पूगल जाकर परिवादी श्री भंवरलाल से संपर्क कर मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने संबंधी हिदायत दी गई। वक्त 10:13 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के मोबाइल नंबर से परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 पर कॉल किया तथा परिवादी श्री भंवरलाल को ब्यूरो कार्यालय से श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु पूगल रवाना करने के बारे में बताया गया। परिवादी श्री भंवरलाल को श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाये गये। वक्त 10:20 ए.एम. पर श्री हरीराम कानिस्टेबल को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु पूगल जाने के लिए कार्यालय हाजा से रवाना किया गया। **वक्त 01:31 पी.एम.** पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 ने अपने मोबाइल नंबर 97726–64454 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि मैं पूगल पहुंच गया हूं तथा परिवादी श्री भंवरलाल मुझे मिल गया है। अब मैं थोड़ी देर में इन्हें संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने के लिए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी के पास रवाना कर रहा हूं। जिस पर कानिस्टेबल को आवश्यक हिदायत दी गई। **वक्त 02:33 पी.एम.** पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 ने अपने मोबाइल नंबर 97726–64454 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि मेरे द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू करने के बाद परिवादी श्री भंवरलाल को संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया गया था। फिर परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा एसडीएम कार्यालय पूगल में जाने के बाद संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के बाद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् कानिस्टेबल को लाकर सुपुर्द किया है, जिसे मैंने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी श्री भंवरलाल यह बता रहा है कि मेरी श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से मेरे काम के सिलसिले में वार्ता हुई है, उक्त वार्ता के दौरान श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) द्वारा मेरे से 13,000/– रुपये रिश्वत की मांग की गई है। श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से हुई वार्ता को मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है, मगर श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) द्वारा मुझे बताया गया है कि वह रिश्वत राशि प्राप्त करने का दिन अभी एसडीएम साहब से बात करके ही मुझे बतायेगा। श्री हरीराम कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी श्री भंवरलाल बता रहा है कि अभी श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) द्वारा बताई गई रिश्वत राशि 13,000/– के संबंध में भी मुझे कन्फ्यूजन है कि श्री गोविंद जी बाबू जी को अब 13,000/– रुपये देने है या मेरे द्वारा उसे पूर्व में दिये गये 5,000/– रुपये माईनस करके 8,000/– रुपये देने है। उक्त तथ्य स्पष्ट करने के

लिए मैं अभी श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से वार्ता करने वापस जाना चाहता हूं। जिस पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 द्वारा बताये गये तथ्य युक्तिसंगत होने के कारण पुनः परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर फिर से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु भेजने के लिए निर्देशित किया गया। **वक्त 04:51 पी.एम.** पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 ने अपने मोबाइल नंबर 97726–64454 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि मेरे द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू करने के बाद पुनः परिवादी श्री भंवरलाल को संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया गया था। फिर परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा एसडीएम कार्यालय पूगल में जाने के बाद संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के बाद डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् कानिस्टेबल को लाकर सुपुर्द किया गया है, जिसे मैंने प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। कानिस्टेबल ने बताया कि परिवादी श्री भंवरलाल यह बता रहा है कि इस बार जब मैं श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से बात करने गया तो उन्होने मेरी जमीन का पट्टा जारी करने के बदले में 10,000/– रुपये रिश्वत की स्पष्ट मांग की है। जिस पर कानिस्टेबल के मोबाइल पर ही परिवादी श्री भंवरलाल से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वार्ता की गई तो परिवादी ने बताया कि अभी मैंने पुनः श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से मेरे पैण्डिग काम के बारे में बात की है तथा वार्ता के दौरान मैंने उनसे रिश्वत राशि क्लियर करने के बारे में पूछा तो उन्होने मेरी जमीन का पट्टा देने की एवज में 13,000/– रुपये में से पूर्व में दिये गये 5,000/– रुपये कम करने के निवेदन पर मेरे से 10,000/– रुपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की है। परिवादी ने बताया कि मैंने पेशकार जी से मेरी जमीन का पट्टा जारी करने के बारे में भी खुलकर बात की है, जिसे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है। जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल को उक्त रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांस्क्रिप्ट बनाने के लिए कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने के बारे में बताया तो उसने कहा कि फिर अभी मुझे जरूरी काम है, इस कारण मैं आपके कार्यालय पर कल दिनांक 22.09.2023 को उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल को कल दिनांक 22.09.2023 को कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु बताया गया तथा कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने इत्यादि की आवश्यक हिदायत दी गई। श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 21.09.2023, वक्त 07:00 पी.एम. पर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। श्री हरीराम कानिस्टेबल ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं कार्यालय हाजा से रवाना होकर जरिये बस पूगल पहुंचा था तथा परिवादी श्री भंवरलाल से मिलकर उसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड बोलकर सुपुर्द किया था। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा संदिग्ध अधिकारी से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तथा मांग सत्यापन वार्ता ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करने के पश्चात् परिवादी ने उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् कानिस्टेबल को लाकर सुपुर्द किया, जिसे बंद कर मैंने अपने पास सुरक्षित रखा था। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल ने मुझे बताया कि श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) रिश्वत राशि प्राप्त करने का दिन अभी एसडीएम साहब से बात करके ही मुझे बतायेगा। इसके अलावा परिवादी श्री भंवरलाल ने मन् कानिस्टेबल को बताया कि श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) द्वारा बताई गई रिश्वत राशि 13,000/– के संबंध में भी मुझे कन्फ्यूजन है कि श्री गोविंद जी बाबू जी को बतौर रिश्वत राशि अब मुझे कुल 13,000/– रुपये देने है या मेरे द्वारा उसे पूर्व में दिये गये 5,000/– रुपये माईनस करके 8,000/– रुपये देने है। उक्त तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए मैं अभी श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से वार्ता करने वापस जाना चाहता हूं। जिस पर मन् कानिस्टेबल द्वारा उक्त तथ्य जरिये मोबाइल आपको बताये गये थे। तत्पश्चात् आपके निर्देशानुसार परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य युक्तिसंगत होने के कारण मन् कानिस्टेबल द्वारा पुनः परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर फिर से संदिग्ध अधिकारी के पास रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु रवाना किया गया गया। तत्पश्चात् संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल वापिस मेरे पास आया। उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् कानिस्टेबल को सुपुर्द किया, जिसे बंद कर मैंने स्वयं के पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी ने मन् कानिस्टेबल को बताया कि मैंने अभी संदिग्ध अधिकारी श्री गोविंद बाबू जी (पेशकार जी) से पुनः मिलकर मेरे पैण्डिग काम के बारे में बात की है तथा वार्ता के दौरान मैंने उनसे रिश्वत राशि क्लियर करने के बारे में पूछा तो उन्होने मेरी जमीन का पट्टा देने की एवज में 13,000/– रुपये से कम करते हुए इस बार मेरे से 10,000/– रुपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की है। परिवादी ने बताया कि मैंने पेशकार जी से मेरी जमीन का पट्टा जारी करने के बारे

में भी खुलकर बात की है, जिसे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी ने बताया कि उक्त वार्ता मैंने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली है। इसके बाद परिवादी श्री भंवरलाल की आपसे हुई वार्ता अनुसार उसे पूगल में ही छोड़कर मन् कानिस्टेबल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया हूं। इस प्रकार श्री हरीराम कानिस्टेबल ने पूर्व में जरिये मोबाइल स्वयं तथा परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा बताई गई बातों को दोहराया। तत्पश्चात् श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यवाही हाजा में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसको मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। आईंदा परिवादी श्री भंवरलाल के आने पर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को सुनकर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

दिनांक 22.09.2023, वक्त 11:21 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से परिवादी श्री भंवरलाल को उसके मोबाइल नंबर 90245–84464 पर कॉल कर सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने के संबंध में कार्यालय हाजा पर बुलाया तो परिवादी ने बताया कि मैं आज मेरे व्यक्तिगत कार्यवश पुष्कर आ गया हूं, शाम को करीब 4–5 बजे तक बीकानेर आपके ऑफिस पर आ जाऊंगा। **वक्त 02:00 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय हाजा पर पदस्थापित श्री नरेंद्र सिंह कानिस्टेबल ड्राईवर नंबर 245 को ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण गोपनीय राजकार्य के लिए दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) बीकानेर खण्ड, बीकानेर कार्यालय के नाम की मुर्तिबा तहरीर जरिये क्रमांक 5501 दिनांक 22.09.2023 देकर रवाना किया गया। **वक्त 02:42 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 से कॉल आया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी रास्ते में हूं, कुचेरा के पास पहुंचा हूं तथा बीकानेर आपके कार्यालय पर पहुंचने तक शाम हो जायेगी। जिस पर परिवादी को समय मिलने पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत दी गई। **दिनांक 22.09.2023, वक्त 05.30 पी.एम. पर** श्री नरेंद्र सिंह कानिस्टेबल ड्राईवर नंबर 459 मय अपने साथ दो कर्मचारियों को गोपनीय राजकार्य हेतु हमराह लेकर उपस्थित कार्यालय आया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानिस्टेबल के साथ आये हुए कर्मचारियों से उनका नाम व पूर्ण पता पूछा तो दोनों ने अपना–अपना नाम व पता क्रमशः 1. श्री देशराज पुत्र स्व. श्री कढ़ोरीलाल, जाति मेघवाल, उम्र 57 वर्ष, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी बी–135, कांता खतूरिया कॉलोनी, जिला बीकानेर, पुलिस थाना जय नारायण व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि, (विस्तार) बीकानेर, मोबाइल नंबर 89469–02210, 2. श्री हरिराम तर्ड पुत्र श्री जगदीश, जाति जाट, उम्र 29 साल, पेशा सरकारी नौकरी, निवासी गांव थावरिया, तहसील नोखा, पुलिस थाना जसरासर, जिला बीकानेर, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि, (विस्तार) बीकानेर, मोबाइल नंबर– 90010–44900 होना बताया। जिस पर उक्त दोनों कर्मचारियों को कार्यालय हाजा पर बुलाये जाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए दिनांक 26.09.2023 को वक्त 08.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबंद कर वक्त 06:00 पी.एम. पर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 23.09.2023, वक्त 10:53 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से परिवादी श्री भंवरलाल को उसके मोबाइल नंबर 90245–84464 पर कॉल कर सत्यापन वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने के संबंध में कार्यालय हाजा पर बुलाया तो परिवादी ने बताया कि मैं देर रात मेरे घर पहुंचा हूं, इस कारण कल आपके कार्यालय पर नहीं पहुंच पाया। आज वक्त 02:00 पी.एम. तक आपके कार्यालय पर उपस्थित हो जाऊंगा। रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित अब तक की गई कार्यवाही के पूर्ण हालात द्वारा उचित माध्यम उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाइल निवेदन किये गये तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। **वक्त 02:13 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से परिवादी श्री भंवरलाल को उसके मोबाइल नंबर 90245–84464 पर पुनः कॉल कर कार्यालय हाजा पर पहुंचने के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर मेहमान आ गये थे, इस कारण मैं जरा लेट हो गया। परिवादी ने बताया कि मैं अभी पूगल से रवाना हो गया हूं तथा आपके कार्यालय पर पहुंच रहा हूं। **वक्त 03:45 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछने पर परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा आपके कार्यालय पर दी गई हस्तलिखित रिपोर्ट के अनुक्रम में मैंने दिनांक 21.09.2023 को वक्त 08:04 ए.एम. पर मेरे मोबाइल से कॉल कर आपको बताया था कि श्री गोविंद बाबू जी आज

उपखण्ड कार्यालय पूगल पर अपनी ड्यूटी पर आने की संभावना है तथा मैं उनसे रूबरू मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर आप द्वारा वक्त 10:13 ए.एम. पर कॉल कर अपने कार्यालय से श्री हरीराम जी कानिस्टेबल को मेरे पास पूगल भेजने के बारे में बताया गया था। तत्पश्चात् पूगल पहुंचने के बाद श्री हरीराम जी कानिस्टेबल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के पास स्थित गोपनीय स्थान पर मेरे से मिले थे तथा मुझे संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने व वार्ता रिकॉर्ड करने के लिए ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया था। फिर मैंने स्वयं चलकर उपखण्ड कार्यालय पूगल श्री गोविंद बाबू जी (पेशकार जी) से मिलकर उपखण्ड कार्यालय पूगल में मेरी जमीन के पट्टा संबंधी पैण्डिग कार्य के सिलसिले में उनसे वार्ता की थी, उक्त वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया था। तत्पश्चात् वार्ता रिकॉर्ड करने के पश्चात् एसडीएम कार्यालय से बाहर आकर गोपनीय स्थान पर मैं श्री हरीराम जी कानिस्टेबल से मिला तथा उनको ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया, जो बंद कर उन्होने अपने पास रखा था। उक्त वार्ता में श्री गोविंद बाबू जी (पेशकार जी) ने एसडीएम कार्यालय पूगल में पट्टा संबंधी मेरे पैण्डिग कार्य के बदले में मेरे से बतौर रिश्वत राशि कुल 13,000/– रुपये मांगे थे। मगर चूंकि पूर्व में भी मेरी पत्नि सुखीदेवी के नाम का पट्टा जारी करने की एवज में उसने मेरे पर दबाव बनाकर मेरे काम के बदले में 5,000 रुपये ले लिए थे। इस कारण श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) द्वारा बताई गई रिश्वत राशि 13,000/– रुपये के संबंध में भी मुझे कन्फ्यूजन था कि श्री गोविंद जी बाबू जी को बतौर रिश्वत राशि अब मुझे कुल 13,000/– रुपये देने है या मेरे द्वारा उसे पूर्व में दिये गये 5,000/– रुपये माईनस करके 8,000/– रुपये देने है। इसके अलावा श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) ने मुझे उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने का दिन उस वक्त एसडीएम साहब से बात करने के बाद ही बताने का बताया था। इस कारण उक्त तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए मैं श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) के पास जाकर उनसे पुनः वार्ता करना चाह रहा था। इस कारण मेरे द्वारा उक्त बात बताने पर श्री हरीराम जी कानिस्टेबल ने पुनः मुझे ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया था, जो प्राप्त कर मैं फिर से एसडीएम कार्यालय परिसर में जाकर श्री गोविंद बाबू (पेशकार जी) से मिला तथा मेरे काम के सिलसिले में मैंने खुलकर बातचीत की थी तथा उक्त वार्ता को मैंने ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ता के दौरान मैंने श्री गोविंद बाबू जी (पेशकार जी) से रिश्वत राशि क्लियर करने के बारे में पूछा तो उन्होने एसडीएम कार्यालय पूगल में मेरे पैण्डिग कार्य मेरी जमीन का पट्टा देने की एवज में 13,000/– रुपये से कम करते हुए इस बार मेरे से 10,000/– रुपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग की। श्री गोविंद बाबू जी (पेशकार जी) ने मुझे मेरी जमीन का पट्टा सोमवार–मंगलवार तक देने की बात कही। इसके बाद उक्त वार्ता रिकॉर्ड करने के पश्चात् एसडीएम कार्यालय पूगल से बाहर आकर मैं गोपनीय स्थान पर पुनः श्री हरीराम जी कानिस्टेबल से मिला तथा ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया, जो बंद कर इन्होने अपने पास रखा था। इसके बाद मेरी श्री हरीराम जी कानिस्टेबल के मोबाइल से आपसे बात हुई थी, तब भी मैंने उक्त तथ्य आपको बताये थे। फिर मुझे उस दिन जरूरी काम था तथा मुझे पुष्कर जाना था। पुष्कर से मैं कल देर रात ही मेरे घर पर पहुंचा हूं, इस कारण उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं की ट्रांस्क्रिप्ट बनवाने के लिए मैं आज आपके कार्यालय पर उपस्थित आया हूं। परिवादी ने बताया कि अब गोविंद बाबू (पेशकार) मेरे से मंगलवार दिनांक 26.09.2023 को एसडीएम कार्यालय खुलने पर ही रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल को कार्यालय हाजा पर बिठाया गया।

दिनांक 23.09.2023, वक्त 03:55 पी.एम. – इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री भंवरलाल की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर दिनांक 21.09.2023 को परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री गोविंद बाबू (पेशकार), एसडीएम कार्यालय पूगल से की गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी रिकॉर्ड की गई दोनों ऑडियो फाईल्स की HASH VALUE चैक करने पर निम्नलिखित HASH VALUE होना पाई गई:–

S No.	File Name	HASH VALUE (SHA 1)
1	230921_1339	dcbf88c0363ba0521b144e2078bd046cfbe35cdc
2	230921_1546	d7e2c13e6f76e0596dff594fae9dd70463f23eb6

तत्पश्चात **वक्त 04:00 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड से श्री

हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं संबंधी दोनों ऑडियो फाईल्स की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। **वक्त 08:45 पी.एम.** तक मन् पुलिस निरीक्षक ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता संबंधी दोनों ऑडियो फाईल्स की विस्तृत फर्द ट्रांस्क्रिप्ट उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को सुन–सुन कर परिवादी श्री भंवरलाल से पूछ–पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में हिंदी रूपांतरण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त सत्यापन वार्ताओं की दोनों क्लिप्स को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से दो पेन ड्राईव्स में कॉपी किया गया। एक पेन ड्राईव को पेन ड्राईव के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट् किया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मूल मेमोरी कार्ड को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर कार्ड के कवर में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड किया गया। उक्त कार्यवाही से संबंधित पृथक से मुर्तिब की गई फर्द ट्रांस्क्रिप्ट शामिल कार्यवाही कागजात की गई। अब तक के तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार), एसडीएम कार्यालय पूगल द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल से उसकी जरिये इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम श्री किसनलाल पुत्र श्री रामदेव, श्रीमती जशोदा पत्नि श्री किसनलाल से खरीदी गई जमीन, जिसकी सरकार द्वारा निर्धारित समस्त राशि परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा जरिये चालान जमा करवा दी गई है, उक्त जमीन का पट्टा जारी करने की एवज में परिवादी श्री भंवरलाल से 10,000/– रुपये रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग करना पाया गया है। लिहाजा अब आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार), एसडीएम कार्यालय पूगल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही की जानी है, इस संबंध में परिवादी श्री भंवरलाल से विचार विमर्श किया गया। **वक्त 08:55 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल से आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/– रुपये की व्यवस्था करने के बारे में कहा तो परिवादी ने बताया कि श्री गोविंद बाबू (पेशकार) ने मुझे मांग सत्यापन के दौरान सोमवार मंगलवार तक पट्टा देने की बात की है। इसलिए सोमवार को अवकाश होने के कारण मंगलवार को अब ऑफिस खुलेगा, उसी दिन श्री गोविंद बाबू (पेशकार) मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। मैं आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/– रुपये की व्यवस्था करके आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल को दिनांक 26.09.2023 मंगलवार को सुबह 08.30 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित आने व कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 25.09.2023, वक्त 11:39 ए.एम. – इस समय मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा सरकारी कर्मचारी श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक को उसके मोबाइल नंबर 90010–44900 पर कॉल कर कल दिनांक 26.09.2023 को वक्त 08:30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर पहुंचने हेतु पाबंद किया गया तथा वक्त 11:45 ए.एम. पर श्री देशराज, वरिष्ठ सहायक को भी उसके मोबाइल नंबर 89469–02210 पर कॉल कर कल दिनांक 26.09.2023 को वक्त 08:30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर पहुंचने हेतु पाबंद किया गया। कार्यालय हाजा के एच.एम. श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115 को कार्यालय स्टाफ को वक्त 08:30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पाबंद करने के लिए आदेशित किया गया। अब तक की गई कार्यवाही के पूर्ण हालात द्वारा उचित माध्यम उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाइल निवेदन किये गये तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। **वक्त 07:37 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर 82786–31591 से परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 पर कॉल कर पूर्व में निर्धारित समय 08:30 ए.एम. पर आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार), एसडीएम कार्यालय पूगल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/– रुपये सहित कार्यालय हाजा पर पहुंचने की हिदायत दी गई। अब तक की गई कार्यवाही के पूर्ण हालात द्वारा उचित माध्यम उच्चाधिकारियों को जरिये मोबाइल निवेदन किये गये तथा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

दिनांक 26.09.2023, वक्त 07:52 ए.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल आया। परिवादी ने बताया कि रात में पूगल में रामदेव जी का जागरण था, जिसकी व्यवस्था मैंने ही संभाली हुई थी, इस कारण वहां से रात्रि में लेट आने के कारण मेरे आने में थोड़ी देर हो जायेगी। परिवादी ने बताया कि मैं अब थोड़ी देर में पूगल से रवाना हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी को कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। **वक्त 09:30 ए.एम.** पर गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दो सरकारी कर्मचारी श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये, जिनको कार्यालय हाजा परिसर में बिठाया गया। **तत्पश्चात**

परिवादी श्री भंवरलाल कार्यालय हाजा पर उपस्थित नहीं आने पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर से परिवादी को बार–बार कॉल लगाने पर व्यस्त होने के कारण परिवादी से संपर्क नहीं हो पाया। **वक्त 01:39 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल आया तो परिवादी ने बताया कि आज पूगल में कोई उद्घाटन समारोह होने के कारण मैं उस प्रोग्राम में व्यस्त हो गया। परिवादी ने बताया कि आज अब देर हो गई है तथा मैं कल सुबह वक्त 09:00 ए.एम. पर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। जिस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की विशेष हिदायत दी गई तथा कल दिनांक 27.09.2023 को वक्त 09:00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पहुंचने की हिदायत दी गई। जिस पर इस समय ट्रेप कार्यवाही हाजा हेतु बुलाये गये दोनों कर्मचारियों श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक को कल दिनांक 27.09.2023 को वक्त 09:00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर पहुंचने हेतु पाबंद कर कार्यालय हाजा से रवाना किया गया।

दिनांक 27.09.2023, वक्त 09:15 ए.एम. पर गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दोनो सरकारी कर्मचारी श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। **वक्त 09:49 ए.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 82786–31591 पर कॉल कर बताया कि मैं बजरंग धोरा के पास पहुंच गया हूं, थोड़ी देर में बीकानेर पहुंच रहा हूं। जिस पर परिवादी को कार्यालय हाजा पर पहुंचने की हिदायत दी गई। **वक्त 01:20 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल उपस्थित कार्यालय आया तथा परिवादी ने बताया कि मैं आवश्यक कार्य से जरा लेट हो गया हूं। कार्यालय पर उपस्थित दोनों सरकारी कर्मचारीगण श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने के बारे में बताया गया। दोनों कर्मचारीगण द्वारा ब्यूरो की उक्त कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह मौजूद रहने की सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी श्री भंवरलाल का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का दोनों स्वतंत्र गवाहान को अवलोकन करवाया जाकर रिश्वत मांग आदि तथ्यों से अवगत करवाया गया। **वक्त 01:30 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र श्री बिशनाराम, जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, पूगल, जिला बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू उक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री गोविंद बाबू (पेशकार) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट	3SV 511901
2.	एक 500 रूपये का नोट	7US 896944
3.	एक 500 रूपये का नोट	0BG 732670
4.	एक 500 रूपये का नोट	1FN 301538
5.	एक 500 रूपये का नोट	3NF 985436
6.	एक 500 रूपये का नोट	9MH 946517
7.	एक 500 रूपये का नोट	2RC 399769
8.	एक 500 रूपये का नोट	1NC 964776
9.	एक 500 रूपये का नोट	2FD 201278
10.	एक 500 रूपये का नोट	5RR 232933
11.	एक 500 रूपये का नोट	2GL 790656
12.	एक 500 रूपये का नोट	0HH 399455
13.	एक 500 रूपये का नोट	3AM 518103
14.	एक 500 रूपये का नोट	1CV 980394
15.	एक 500 रूपये का नोट	8PN 659056
16.	एक 500 रूपये का नोट	1UL 281847
17.	एक 500 रूपये का नोट	0GN 808919
18.	एक 500 रूपये का नोट	1MA 397463
19.	एक 500 रूपये का नोट	3WF 886202

20.	एक 500 रूपये का नोट	3PR 695174

उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर से फिनॉल्फथेलिन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ लिपिक से सभी नोटों पर फिनॉल्फथेलिन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक से लिवाई गयी। परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया व उक्त पाउडर युक्त नोट 10,000/– रूपये परिवादी के पहने हुए कुर्ते की ऊपरी सामने की बांयी जेब में श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवें, लेन–देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुएं, आरोपित से मिलने पर रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वत राशि लेन–देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है, उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर इशारा करें तथा यदि बाहर आकर इशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल/कॉल करके इशारा करें। तत्पश्चात् कांच के एक साफ गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनॉल्फथेलिन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनॉल्फथेलिन पाउडर लगाया गया था, उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान कनिष्ठ लिपिक को कार्यालय में ही छोड़ा गया। फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत कार्यवाही नियमानुसार पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

दिनांक 27.09.2023, वक्त 01:50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री भंवरलाल, स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री नरेंद्र कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबलगण को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक अनिल व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री ब्यूरो चौकी बीकानेर से पूगल के लिए रवाना हुआ। हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। **वक्त 03:20 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवानासुदा पूगल से करीब 01 कि0मी0 पहले किसी गोपनीय स्थान पर पहुंच कर प्राईवेट वाहन को साईड में खड़ा करवाया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री भंवरलाल की मौजूदगी में ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड स्थापित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर जरिये हमराह श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 परिवादी श्री भंवरलाल को दिलवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल को एसडीएम कार्यालय पूगल के पीछे की साईड में ले जाकर निजी वाहन से उतार कर आरोपी के पास रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान जाब्ता वाहनों से उतर कर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के पीछे–पीछे एसडीएम कार्यालय पूगल के आसपास परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में मुकिम हुए। **वक्त 05:05 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल बिना इशारा किये हुए ही उपखण्ड कार्यालय पूगल से एक व्यक्ति के साथ बाहर आया, मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को कोई इशारा नहीं किया तथा सड़क की ओर गया। थोड़ी दूरी पर जाकर सड़क पर एक मोटरसाइकिल सवार के आने पर मोटरसाईकिल पर सवार होकर उसके साथ रवाना हुआ। **वक्त 05:27 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल ने मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान को कोई इशारा नहीं किया तथा बिना इशारा किये हुए ही उपखण्ड कार्यालय पूगल में वापस चला गया। **वक्त 05:28 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल उपखण्ड कार्यालय पूगल से एक व्यक्ति के साथ–साथ बातें करते हुए बाहर निकला तथा बिना इशारा किये हुए ही उस व्यक्ति के साथ पास ही स्थित सड़क की ओर गया। फिर परिवादी के साथ चल रहा व्यक्ति बस में बैठ गया।

तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल ने उक्त व्यक्ति के बस में बैठने के बाद वहां से वापिस एसडीएम कार्यालय के गेट की तरफ आकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान को साईड में आने का इशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री भंवरलाल से एसडीएम कार्यालय के पीछे की तरफ गोपनीय स्थान पर आकर वक्त 05:32 पी.एम. पर परिवादी से मिले। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराही श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 को आदेशित कर परिवादी से ब्यूरो का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि आज श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) ने मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है तथा अभी अभी वह मेरे साथ ही एसडीएम कार्यालय से बाहर आया था तथा बस में बैठकर बीकानेर वापस चला गया है। परिवादी ने बताया कि मेरे काम के सिलसिले में आज श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) से बातचीत हुई तो उन्होने बताया कि एसडीएम साहब ने अभी तक पट्टे पर साईन नहीं किये हैं तथा अभी तक कोई हां या ना नहीं की है। रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर श्री गोविंद पेशकार जी ने बताया कि काम होने के बाद ही वह रिश्वत राशि प्राप्त करेगा। मेरे काम के सिलसिले में मैं एसडीएम कार्यालय में बैठा रहा, जहां मेरी एसडीएम साहब के ड्राईवर अली खां से भी मेरे कार्य के संबंध में बातचीत हुई है तथा फिर मुझे एसडीएम साहब पूगल के समक्ष भी बुलाया गया, तब मेरी एसडीएम साहब से श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) की मौजूदगी में बातचीत हुई है, जिसे मैंने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली है। परिवादी ने बताया कि श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) व एसडीएम साहब ने मेरे से आज मेरे काम के सिलसिले में बातचीत करते हुए श्री किशनलाल, जिससे मैंने जमीन जरिये इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम खरीदी है, का आधार कार्ड हस्ताक्षर सहित भी मंगवाया है। कल बारावफात त्यौहार होने से राजकीय अवकाश है, इस कारण एसडीएम कार्यालय परसों खुलेगा, तब मैं श्री किशनलाल का आधार कार्ड उसके हस्ताक्षर करवाने के बाद एसडीएम कार्यालय में पेश कर दूंगा और तभी मेरे से श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) रिश्वत राशि प्राप्त करेंगे। **वक्त 05:50 पी.एम.** पर परिवादी श्री भंवरलाल को मन् पुलिस निरीक्षक ने आज रिकॉर्ड हुई वार्ता की ट्रांस्क्रिप्ट बनाने के लिए ब्यूरो कार्यालय पर साथ चलने बाबत् कहा तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मेरे घर पर अभी मेहमान आये हुए हैं तथा मुझे अभी मेरे घर पर आना अति आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि मैं कल सुबह जल्दी आपके कार्यालय पर आ जाऊंगा। जिस पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/– रुपये को रूबरू स्वतंत्र गवाहान परिवादी श्री भंवरलाल की जेब से मालखाना प्रभारी श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115 द्वारा निकलवाकर सफेद कागज में लिपटवाकर श्री राजवीर सिंह हैड कानिस्टेबल के पास सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात् परिवादी श्री भंवरलाल को वहीं पर पूगल में ही छोड़कर कल दिनांक 28.09.2023 को सुबह 09:30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर पहुंचने की हिदायत देकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री नरेंद्र कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबलगण को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक अनिल व निजी वाहन मय लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री पूगल से ब्यूरो चौकी बीकानेर कार्यालय के लिए रवाना हुआ। अब तक की कार्यवाही के हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये मोबाइल निवेदन किए गए। **तत्पश्चात** मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान उपरोक्त के ब्यूरो कार्यालय बीकानेर उपस्थित आया। आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/– रुपये एक सफेद कागज में लिपटी हुई मालखाना प्रभारी श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115 के पास ही मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई। कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। प्राईवेट वाहन मय चालक को फारिग कर दोनों स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 28.09.2023 सुबह 09:30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय पर पहुंचने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रवाना किया गया।

दिनांक 28.09.2023, वक्त 09:00 ए.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल ने स्वयं के मोबाइल नंबर 90245–84464 से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल नंबर 94130–43221 पर कॉल कर बताया कि आज मैं श्री किशनलाल मोची से उसका आधार कार्ड उसके हस्ताक्षर सहित प्राप्त करने के बाद ही बीकानेर के लिए रवाना हो पाऊंगा। जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर पहुंचने की हिदायत दी गई। **वक्त 09:30 ए.एम.** पर गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दो सरकारी कर्मचारी श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। **वक्त 12:28 पी.एम.** पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर

82786–31591 से परिवादी श्री भंवरलाल के मोबाइल नंबर 90245–84464 कर कॉल किया तो ट्रांस्क्रिप्ट बनवाने हेतु ब्यूरो कार्यालय पहुंचने हेतु पूछा तो बताया कि अभी मैंने श्री किशनलाल मोची से उसका आधार कार्ड उसके हस्ताक्षर सहित प्राप्त किया है तथा मैं बीकानेर के लिए रवाना होने के लिए पूगल बस स्टैण्ड पर खड़ा हूं। जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पर पहुंचने की हिदायत दी गई। **वक्त 03:00 पी.एम.** – इस समय परिवादी श्री भंवरलाल उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव, निवासी वार्ड नंबर 3, पूगल, बीकानेर के आधार कार्ड नंबर 836413130395 की हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात की गई। **तत्पश्चात** मन् पुलिस निरीक्षक ने ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री भंवरलाल तथा कार्यवाही के स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक की मौजूदगी में कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा की आलमारी से निकाला जाकर श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट किया जाकर दिनांक 27.09.2023 को परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा आरोपी व्यक्ति श्री गोविंद बाबू (पेशकार) एसडीएम कार्यालय पूगल व अन्य संबंधित व्यक्तियों से की गई वार्ता संबंधी रिकॉर्डसुदा ऑडियो फाईल की HASH VALUE चैक करने पर निम्नलिखित HASH VALUE होना पाई गईः–

S No.	File Name	HASH VALUE (SHA 1)
1	230927_1521	d1c89bb094558d6da611d07bc2c0c97a1bf685bb

दिनांक 28.09.2023 को वक्त 03.15 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल व कार्यवाही हाजा के स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक की उपस्थिति में कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड से श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से दिनांक 27.09.2023 को की गई वार्ता संबंधी रिकॉर्ड ऑडियो फाईल की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जानी शुरु की गई। **वक्त 09:05 पी.एम. तक** मन् पुलिस निरीक्षक ने दिनांक 27.09.2023 को परिवादी श्री भंवरलाल व आरोपी श्री गोविंद पेशकार, एसडीएम कार्यालय पूगल तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के मध्य रिकॉर्ड वार्ता संबंधी ऑडियो फाईल की विस्तृत फर्द ट्रांस्क्रिप्ट उक्त रिकॉर्ड वार्ता को रूबरू स्वतंत्र गवाहान सुन–सुन कर परिवादी श्री भंवरलाल से पूछ–पूछ कर संबंधित आवाजों की पहचान करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री हरीराम कानिस्टेबल नंबर 210 की सहायता से तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट में हिंदी रूपांतरण मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मेमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में ही रहने दिया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। उक्त कार्यवाही की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट पृथक से मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। **वक्त 09:10 पी.एम. पर** परिवादी श्री भंवरलाल, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक को कल दिनांक 29.09.2023 को सुबह वक्त 09:30 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा पर पहुंचने की हिदायत देकर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 29.09.2023, वक्त 09:30 ए.एम. पर गोपनीय राजकार्य हेतु पूर्व से पाबंदसुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक तथा श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये। **वक्त 10:50 ए.एम. पर** परिवादी श्री भंवरलाल कार्यालय में उपस्थित आया। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से मालखाना में सुरक्षित रखवाई हुई रिश्वती राशि 10,000/– रुपये जो एक सफेद कागज में लपेटी हुई है, को मालखाना से निकालकर सफेद कागज से निकलवाकर बाद परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया जाने पर श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से रूबरू स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पहने हुए कुर्ते की ऊपरी बांई जेब में रखवाये गये। सफेद कागज जिसमें रिश्वती राशि लपेटी गई थी, को श्री इमरान खान से जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात् श्री इमरान खान, मन् पुलिस निरीक्षक व ट्रेप पार्टी सदस्यों ने अपने–अपने हाथ साफ साबुन पानी से धोये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवें, लेन–देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुएं, आरोपित से मिलने पर रिश्वत राशि लेनदेन के दौरान एवं रिश्वत राशि लेन–देन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है, उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर इशारा करें तथा यदि बाहर आकर इशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाइल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाइल पर मिस कॉल/कॉल करके इशारा करें। **ताबाद वक्त 11:15 ए.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री भंवरलाल, स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड कनिष्ठ सहायक, श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, श्री

नरेंद्र कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम तथा श्री भगवानदास कानिस्टेबलगण को हमराह लेकर जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक अनिल व निजी वाहन मय पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री ब्यूरो चौकी बीकानेर से पूगल के लिए रवाना हुआ। हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। **वक्त 12:38 पी. एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के जरिये वाहनों से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के नजदीक पहुंचकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री भंवरलाल को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी श्री गोविन्द बाबू कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के इर्द गिर्द अपनी उपस्थिति छिपाते हुए रिश्वत लेन–देन के निर्धारित ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। **वक्त 01.50 पी.एम. पर** परिवादी श्री भंवरलाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पूगल से बिना ईशारा किये बाहर आया तथा पैदल चलते हुए मन् पुलिस निरीक्षक के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचा। परिवादी श्री भंवरलाल से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि गोविन्द बाबू से मेरी अभी वार्ता हुई तो गोविन्द बाबू ने मुझे कहा कि अभी 4 बजे मैं आपको हाथों हाथ पट्टा दे दूंगा, 4 बजे आ जाओ। **वक्त 03.56 पी.एम. पर** मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी गोविन्द बाबू से रिश्वत राशि लेन–देन हेतु रवाना किया गया। **वक्त 04.08 पी.एम. पर** परिवादी श्री भंवरलाल उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से बिना ईशारा किये मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित आया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भंवरलाल को गोपनीय स्थान पर ले जाकर परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं जब गोविन्द पेशकार से मिला तो उसने मुझे पट्टा दे दिया और मेरे हस्ताक्षर करवाये, जो पट्टा मेरे पास है। हमारी उक्त बातचीत के समय श्री अली ड्राईवर भी मौजूद था। अली ड्राईवर ने गोविन्द को कहा कि ले लो ले लो यहीं ले लो, टेंशन ना लो मैं हूं यह कहते हुए अली ने मुझे कहा कि अठे ही दे दो। जिस पर गोविन्द ने कहा कि अरे समझो थे समझो बात। तो अली ने गोविन्द को कहा कि मेरो आदमी है थे टेंशन मत लो। उसके बाद अली मेरे साथ में उपखण्ड कार्यालय के बाहर आया तथा मेरे साथ चाय पी और मेरी तरफ हाथ से पैसे देने का ईशारा कर कहा दे दो। जिस पर मैंने कहा कि मैं दस मिनट में पैसे लेकर आता हूं तो अली ने कहा कि कोई दिक्कत कोनी ठीक है। फिर मैं बाहर आ गया। तत्पश्चात **वक्त 04.31 पी.एम. पर** डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री भंवरलाल को सुपुर्द कर आरोपीगण से रिश्वत लेन–देन हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल के इर्द–गिर्द अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए।

दिनांक 29.09.2023 को वक्त 04.38 पी.एम. पर परिवादी श्री भंवरलाल पुत्र श्री बिशनाराम, जाति मेघवाल, उम्र 42 वर्ष, निवासी गांव पूगल, पुलिस थाना पूगल, जिला बीकानेर ने कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल की पश्चिमी साईड में गैलरी के गेट पर खडे होकर रिश्वत राशि लेन–देन का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक श्रवण कुमार मय स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री देशराज, हरिराम तर्ड व ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजवीर सिंह, नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षकगण, श्री रतन सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम, श्री भगवानदास, कानिस्टेबलगण के अविलम्ब उपखण्ड कार्यालय पूगल के पश्चिम साईड में बने गेट पर पहुंचा जहां परिवादी श्री भंवरलाल मौजूद मिला। परिवादी श्री भंवरलाल ने गैलेरी में खड़े सफेद टीशर्ट व जींस पेंट पहने हुए एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि इन्होने मेरे से पैसे लिये हैं। परिवादी श्री भंवरलाल से मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री भंवरलाल ने बताया कि साहब अभी जब मैं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आ रहा था तो बाहर सड़क पर एसडीएम कार्यालय के श्री नारायणराम जी मिले थे, जिन्होंने मुझे कहा कि ले आये पैसे, अली को दे देना या मुझे दे देना, फिर मैं वहां से रवाना होकर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में पहुंचा तो श्री अली खां ड्राईवर व श्री गोविन्द बाबू नहीं मिले। बाद में श्री नारायणराम जी मुझे कार्यालय में मिले जिन्होंने मेरे से पूछा कि ले आये पैसे, तो मैंने कहा ले आया, जिस पर नारायणराम ने मुझे कहा कि मुझे दे दो, जिस पर मैंने रिश्वती राशि 10000/–रूपये श्री नारायणराम को दी है, जिन्होंने मेरे से पैसे अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रखे है। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भंवरलाल की निशादेही पर श्री नारायणराम को अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय देकर अपने मंतव्य से अवगत करवाकर उस व्यक्ति का पूर्ण नाम पता व परिचय पूछा तो उसने अपना नाम नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, जाति नायक, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव खारा, तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, शिक्षा विभाग, राजकीय सीनियर

सैकेण्डरी स्कूल पूगल होना बताया तथा वर्तमान में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल में प्रतिनियुक्ति पर होना बताया। श्री नारायणराम का क्लाईयों के ऊपर से दाहिना हाथ श्री हरिराम कानिस्टेबल से तथा बांया हाथ मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पकड़ा गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री नारायणराम से परिवादी श्री भंवरलाल से पैसे किस बाबत् लिये गये का पूछने पर श्री नारायणराम ने बताया कि साहब मैं भंवरलाल जी को मैं जानता हूं, ये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में खातेदारी पट्टे के लिए काफी टाईम से आ रहा है। आज मुझे हमारे कार्यालय के श्री अली खां ड्राईवर ने मुझे कहा था कि भंवरलाल जी मेघवाल से उसकी खातेदारी सनद जारी करने की एवज में 10 हजार रूपये लेने हैं। अभी ये भंवरलालजी मेरे को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बीकानेर के बाहर सड़क पर मिले थे, जहां मैंने उनसे पैसों के बारे में पूछा था, फिर मैं कार्यालय में आ गया, जहां मुझे श्री भंवरलालजी वापिस मिल गये, तो मैंने इनसे पूछा की अली ने कहा वो पैसे ले आये क्या, जिस पर भंवरलाल जी ने मुझे कहा कि हां ले आया, तो मैंने कहा कि ला मुझे दे दे, मैं अली को दे दूंगा। जिस पर भंवरलालजी ने मुझे 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई पकड़ाई और कहा कि 10 हजार रूपये हैं, जो राशि मैंने अपने दाहिने हाथ में लेकर बिना गिने ही अपने पहनीं हुई जींस पेंट की दाहिनी जेब में रखे हैं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर जो मेरे पास सुरक्षित है, को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू गवाहान व परिवादी व ब्यूरो स्टाफ के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर श्री नारायण राम से पूछताछ की गई तथा परिवादी का पक्ष भी सुना गया जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जावेगी। तत्पश्चात् मौके पर मौजूद परिवादी श्री भंवरलाल ने रूबरू हमराहीयान फिर से स्वतः ही बताया कि साहब दिनांक 27.09.2023 को जब मैं श्री गोविन्द बाबू से मिला तो गोविन्द पेशकार ने मुझे बताया था कि एसडीएम साहब ने अभी तक पट्टे पर साईन नहीं किये हैं तथा अभी तक कोई हां या ना नहीं की है। रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर श्री गोविंद पेशकार जी ने बताया कि काम होने के बाद में ले लूंगा। मेरे काम के सिलसिले में मैं एसडीएम कार्यालय में बैठा रहा तथा मेरी श्री अली खां ड्राईवर से भी मेरी बातचीत हुई थी। श्री गोविन्द पेशकार द्वारा मुझे एसडीएम साहब पूगल के समक्ष भी बुलाया गया, तब मेरी एसडीएम साहब से श्री गोविंद बाबूजी (पेशकार जी) की मौजूदगी में बातचीत हुई थी, एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि किशनलाल की खातेदारी है किशनलाल को लेकर आओ आपको थोड़े ही दे देंगे। किशनलाल जीवित भी है या नहीं हमें पता नहीं है तथा मेरे से किशनलाल के हस्ताक्षरशुदा आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लाने के लिए कहा था। तत्पश्चात् श्री गोविन्द से मैं उसी दिन शाम को वापिस मिला तो गोविन्द ने कहा कि एसडीएम साहब साईन नहीं कर रहे हैं, पैसे बाद में दे देना। आज मैं जब गोविन्द जी से सुबह मिला तो गोविन्द जी ने मुझसे श्री किशनलाल के आधार कार्ड की फोटोप्रति लेकर अपनी फाईल में रख ली तथा मुझे कहा कि आप चार बजे आना मैं आपको पट्टा दे दूंगा। मैं जब वापिस श्री गोविन्द पेशकार से मिला तो उसने मुझे पट्टा दे दिया और मेरे हस्ताक्षर करवाये, जो पट्टा मेरे पास है। हमारी उक्त बातचीत के समय श्री अली ड्राईवर भी मौजूद था। अली ड्राईवर ने गोविन्द को कहा कि ले लो ले लो यहीं ले लो, टेंशन ना लो मैं हूं यह कहते हुए अली ने मुझे कहा कि अठे ही दे दो। जिस पर गोविन्द ने कहा कि अरे समझो थे समझो बात। तो अली ने गोविन्द को कहा कि मेरो आदमी है थे टेंशन मत लो। उसके बाद अली मेरे साथ में उपखण्ड कार्यालय के बाहर आया तथा मेरे साथ चाय पी और मेरी तरफ हाथ से पैसे देने का ईशारा कर कहा दे दो। जिस पर मैंने कहा कि मैं दस मिनट में पैसे लेकर आता हूं तो अली ने कहा कि कोई दिक्कत कोनी ठीक है। जिस पर आज मैं जब उपखंड अधिकारी कार्यालय में आया तो नारायणराम जी ने आगे होकर मेरे से श्री गोविन्द बाबू द्वारा की गई रिश्वत की मांग के क्रम में रिश्वती राशि 10,000/–रूपये प्राप्त की है। मौके पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल में एक भी अधिकारी/कार्मिक मौजूद नहीं मिला, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री महावीर प्रसाद शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हालात जरिये दूरभाष अर्ज किये गये तथा निवेदन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी को ट्रेप कार्यवाही स्थल पर तलब किया जावे। मन् पुलिस निरीक्षक ने पुनः श्री नारायणराम को तसल्ली देकर रूबरू हमराहियान के पूछा कि क्या आपको पता था कि आप भंवरलालजी से अली खां के लिए रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है तो नारायणराम ने कहा कि साहब मुझे पता था कि ये रिश्वत के रूपये हैं, मेरे सामने गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक II अतिरिक्त चार्ज पेशकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल व अली खां ड्राईवर की बात हुई थी। मुझे पता था कि ये राशि रिश्वत की राशि है। मौके पर रिश्वत राशि लेन–देन की ताईद होने पर मन् पुलिस निरीक्षक की निजी गाड़ी से श्री नरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो नये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में रखे कैंपर से साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी

नारायणराम के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। प्राप्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर सीलचिट किये जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी नारायणराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1 व आर–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपी नारायणराम को रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश देने पर आरोपी श्री नारायणराम ने अपने पहनी हुई जींस पेंट बरंग हल्की नीली की दाहिनी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई निकालकर प्रस्तुत की जो गवाह श्री देशराज को दिलवाई जाकर गिनवाई गई तो गवाह ने गिनकर 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/–रूपये होना बताये। इन नोटों के नंबरों का मिलान दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकसी के अनुसार पाये गये। बरामद शुदा नोटों का विवरण फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी में अंकित किया गया। तत्पश्चात बरामदशुदा नोटों को एक कपड़े के साथ सीलचिट किया जाकर, चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री नारायणराम के पहनने के लिए एक पेंट की व्यवस्था करवाकर आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट को उतरवाकर पेंट बदलवाई गई। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स से एक अन्य नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकालवाया जाकर साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल बनाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी नारायणराम के जींस पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर 5–6 बार डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, इस घोल का रंग हल्का गुलाबी होना हाजरीन ने स्वीकार किया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित किया गया। उक्त जींस पेंट बरंग हल्की नीली की जेब को सूखाकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर प्रकरण का विवरण अंकित कर, सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त माल वजह सबूत को कब्जा एसीबी लिया गया। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री गोविन्द प्रसाद ओझा व श्री अली खां के संबंध में पूछने पर आरोपी नारायणराम ने बताया कि साहब गोविन्द प्रसाद ओझा अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से निकल गया था तथा अली खां अभी अभी यहीं था वो अभी यहां नहीं है, शायद आपको देखकर भाग गया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा रूबरू गवाहान वक्त 05.34 पी.एम. पर अपने मोबाईल नंबर 8278631591 से श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी पूगल के मोबाईल नंबर 9783144708 पर कॉल किया तो कॉल नहीं उठाया पुनः कॉल करने पर मोबाईल नंबर नोट रिचेबल आया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने उक्त मोबाईल नंबर से आरोपी गोविन्द प्रसाद ओझा के मोबाईल नंबर 8619257979 पर कॉल किया तो सम्पर्क नहीं हो पाया। अली खां चालक के मोबाईल नंबर मालूम नहीं होने से जरिए मोबाईल सम्पर्क नहीं किया जा सका। परिवादी श्री भंवरलाल को श्री गोविन्द प्रसाद ओझा, निजी सहायक II अतिरिक्त चार्ज पेशकार द्वारा दिया गया पट्टा परिवादी श्री भंवरलाल से प्राप्त कर अवलोकन किया गया। कार्यालय आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पूगल (बीकानेर) द्वारा जारी खातेदारी सनद पुस्तक संख्या 33 कम संख्या 031 श्री किसनलाल पुत्र रामदेव, जसोदा देवी पत्नी किसनलाल जाति मोची, निवासी पूगल, तहसील पूगल, जिला बीकानेर की है। उक्त खातेदारी सनद में चक 11 एमएसएम, वर्ग सं. खसरा नं. 195/63 की किला नंबर 16 ता 25 की 10 बीघा अनकमाण्ड, 195/64 की किला नंबर 01 ता 25 की 25 बीघा अ.क., 196/57 के किला नंबर 01 ता 15 की 15 बीघा अ.क. भूमि अंकित है। उक्त खातेदारी सनद जारी की दिनांक 14.09.2023 अंकित है तथा उपखण्ड अधिकारी पूगल की मोहर पर हस्ताक्षर किये हुए हैं। वक्त 07.30 पीएम पर उपखण्ड अधिकारी श्री मनोज खेमादा कार्यालय में उपस्थित आये, जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का परिचय देकर कार्यवाही के संबंध में आवश्यक तथ्य बताये गये। उक्त जारी खातेदारी सनद के संबंध में उपखण्ड अधिकारी श्री मनोज खेमादा से पूछा गया तो श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी ने खातेदारी सनद देखकर बताया कि यह खातेदारी सनद आज लंच बाद शाम को करीब 03.30 बजे मेरे पास गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक II अतिरिक्त चार्ज पेशकार ने पेश की थी, जिस पर मैंने आज दिनांक 29.09.2023 को ही हस्ताक्षर किये हैं। श्री मनोज खेमादा से खातेदारी सनद पर जारी होने की दिनांक 14.09.2023 अंकित होने के संबंध में पूछने पर बताया कि मैंने खातेदारी सनद पर हस्ताक्षर करने के दौरान सनद पर दिनांक अंकित नहीं की। खातेदारी सनद श्री गोविन्द प्रसाद ओझा द्वारा तैयार की गई है, जो गोविन्द ओझा द्वारा मेरे समक्ष पेश करने पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। तत् समय खातेदारी सनद पर दिनांक अंकित थी या नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी पूगल से श्री भंवरलाल के संबंध में पूछा तो बताया कि दिनांक 27.09.2023

को यह व्यक्ति मेरे कार्यालय में आया था, जिसने किशनलाल की खातेदारी के संबंध में बातचीत की थी। मैंने इसको कहा था कि खातेदारी किशनलाल की है, वो जीवित है या नहीं, आपको खातेदारी नहीं देंगें। फिर मैंने इसको किशनलाल को आधार कार्ड की फोटोप्रति लाने के लिए कहा था। दिनांक 27.09.2023 को मैंने उक्त किशनलाल से संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन भी किया था। दिनांक 28.09.2023 तक मैंने इस खातेदारी सनद पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। खातेदारी सनद पर श्री गोविन्द प्रसाद ओझा द्वारा आज दिनांक 29.09.2023 को मेरे समक्ष पेश करने पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। खातेदारी सनद पर दिनांक गोविन्द प्रसाद ओझा द्वारा अंकित की गई है, जिसके संबंध में वही बता सकता है। उक्त खातेदारी सनद की फोटोप्रति करवाकर उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी ली गई तथा मूल खातेदारी सनद परिवादी श्री भंवरलाल को सुपुर्द की गई। श्री मनोज खेमादा, उपखण्ड अधिकारी से उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के चालक के संबंध में पूछा तो बताया कि उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में श्री अली चालक है, जिसको बुलाने के संबंध में पूछने पर बताया कि उसको मैंने काफी बार फोन किया है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, श्री अली चालक के मोबाईल नंबर 8824786858 हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपने मोबाईल से उक्त अली के उक्त मोबाईल नंबर पर कॉल की गई तो मोबाईल स्विच ऑफ आया, जिससे अली खां चालक से सम्पर्क नहीं हो सका। तत्पश्चात श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी से उनके मोबाईल नंबर 9783144708 से श्री गोविन्द प्रसाद ओझा के मोबाईल नंबर 8619257979 पर कॉल करवाई गई तो श्री गोविन्द प्रसाद ओझा का मोबाईल स्विच ऑफ मिला। श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी से श्री नारायणराम के संबंध में पूछने पर बताया कि यह नारायणराम, सहायक कर्मचारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूगल, जिला बीकानेर में पदस्थापित है, जो कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल में प्रतिनियुक्ति पर है। आरोपी श्री गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक II अतिरिक्त चार्ज पेशकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव मोची व श्रीमती जशोदा पत्नी श्री किशनलाल, निवासी पूगल, जिला बीकानेर से जरिए इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम के क्रय की गई भूमि की खातेदारी सनद देने की एवज में 20,000/--रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 10000/-- रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होकर आरोपी गोविन्द प्रसाद ओझा द्वारा आज दिनांक 29.09.2023 को परिवादी श्री भंवरलाल से चालक अली खां की मौजूदगी में रिश्वत राशि लेन--देन के संबंध में वार्ता की गई। आरोपी अली खां चालक द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल को रिश्वत राशि देने का कहा गया। आरोपी अली खां चालक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा श्री नारायणराम सहायक कर्मचारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल को परिवादी श्री भंवरलाल से रिश्वत राशि लेने के लिए कहा गया, जिस पर आरोपी श्री नारायणराम सहायक कर्मचारी राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, पूगल हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल से 10000/--रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त की गई है जो आरोपी श्री नारायणराम के कब्जे से रूबरू गवाहान बरामद की गई। आरोपीगण गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक II, अतिरिक्त चार्ज पेशकार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल, जिला बीकानेर, श्री अली खां, चालक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल व श्री नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, जाति नायक, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव खारा, तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूगल हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल, जिला बीकानेर द्वारा उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018, सपठित धारा 120बी भा.दं.स. का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। आरोपीगण श्री गोविन्द प्रसाद ओझा व श्री अली खां की कार्यालय में हमराही जाब्ता से एसडीएम कार्यालय के आस पास व संभावित ठिकानों पर तलाश करवाई गई, जो नहीं मिले तथा न ही जरिए दूरभाष सम्पर्क हो सका है। आईन्दा शेष आरोपीगण की पतारसी के प्रयास किये जायेंगें। प्रकरण हाजा में वांछित परिवादी श्री भंवरलाल से संबंधित खातेदारी सनद संबंधी रिकॉर्ड पेश करने हेतु मौजूदा उपखण्ड अधिकारी पूगल श्री मनोज खेमादा को आग्रह करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतियां जरिए फर्द कब्जा एसीबी ली गई, फर्द पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वजुहात गिरफ्तारी आरोपी श्री नारायण राम पुत्र श्री मेघाराम की तैयार कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। **दिनांक 29.09.2023, वक्त 11.00 पी.एम. पर** आरोपी श्री नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, जाति नायक, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव खारा, तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूगल हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल, जिला बीकानेर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधन 2018 व 120बी भादंसं में नियमानुसार जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द हाजा पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। तत्पश्चात **वक्त 11.30 पी.एम.** -- इस

समय आज दिनांक 29.09.2023 को परिवादी श्री भंवरलाल व आरोपीगण गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक II, अतिरिक्त चार्ज पेशकार, श्री अली खां चालक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल, जिला बीकानेर के मध्य हुई वार्ताएं व वक्त लेन–देन परिवादी श्री भंवरलाल व आरोपी नारायणराम सहायक कर्मचारी के मध्य हुई वार्ता जो परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है को रूबरू गवाहान के श्री हरिराम कानिस्टेबल से कार्यालय के लैपटॉप से कनैक्ट करवाकर रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। तत्पश्चात् दिनांक 27.09.2023 व दिनांक 29.09.2023 को रिकॉर्ड वार्ताओं की क्लिप्स को दो पैन ड्राईव में कॉपी कर एक पैन ड्राईव को कवर में डालकर सफेद कपड़े की थैली में डालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर सीलचिट किया गया तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड जिसमें मूल वार्ताएं रिकॉर्ड हैं को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर कार्ड के कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान ईमदाद हेतु श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल नं. 115 को तलब करने पर कार्यवाही स्थल कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल पर हाजिर आया हैं, जिसे शामिल कार्यवाही लिया गया।

दिनांक 30.09.2023, वक्त 05.00 ए.एम. – इस समय प्रकरण हाजा में माल वजह सबूत को सीलचिट करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 74 की फर्द नमूना सील पीतल की सील नंबर 74 मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। **वक्त 05.30 ए.एम. पर** प्रकरण हाजा की कार्यवाही पूर्ण होने से प्रकरण में माल वजह सबूत को सीलचिट करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 74 को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। जिसकी फर्द नष्टीकरण पीतल की सील नंबर 74 मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही कागजात की गई। **वक्त 07.00 ए.एम. पर** घटनास्थल का नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। तत्पश्चात इस ट्रेप कार्यवाही में काफी समय एवम सम्पूर्ण रात्रि व्यतीत हो चुकी हैं, चूंकि पूगल एक छोटा कस्बा हैं जिसकी आबादी सीमित हैं। इस कारण इस ट्रेप कार्यवाही की सूचना सम्पूर्ण कस्बे में आग की तरह फैल चुकी हैं तथा आरोपी नारायणराम का निवास ग्राम पूगल में ही है जिसकी गिरफ्तारी की सुचना भी उसके परिजनों तक पहुंचने से उसके निवास पर किसी प्रकार की कोई कीमती अथवा आपत्तिजनक वस्तु/दस्तावेज मिलने की संभावना अब कम ही नजर आती हैं। ऐसी स्थिति में आरोपी नारायणराम के निवास की खानातलाशी लिये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से खानातलाशी नहीं लिया जाने का निर्णय मन पुलिस निरीक्षक द्वारा लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात एक तहरीर श्रीमान मेडिकल ज्युरिस्ट, सीएचसी पूगल, जिला बीकानेर के नाम जारी कर आरोपी श्री नारायणराम का स्वास्थय परीक्षण करवाकर, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल कागजात की गई। दर्ज रहे कि मौके की ट्रेप कार्यवाही कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल में पूर्ण हो चुकी है। उक्त ट्रेप कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न की जाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को यथास्थान सुरक्षित ही रहने दिया गया। चूंकि आज दिनांक को राजपत्रित अवकाश होने से कोई भी कार्मिक उपखण्ड कार्यालय में उपस्थित नहीं आये है जिस पर उक्त कार्यालय का समस्त रिकॉर्ड श्री मनोज खेमादा उपखण्ड अधिकारी पूगल को दुरस्त हालात में संभलाया गया। तत्पश्चात **वक्त 09.20 ए.एम. पर** मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ, दोनों स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारसुदा अभियुक्त श्री नारायणराम, प्रकरण में जब्तसुदा रिकॉर्ड, वजह सबूत, मालखाना आईटम धोवनों की कुल 6 सीलचिट शीशियां मार्क एल–1, एल–2, आर–1, आर–2, पी–1 व पी–2, जींस पेंट का सील्डसुदा पैकेट, सीलचिट् बरामदा रिश्वती राशि 10,000/– रुपये के नोट, ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड की गई वार्ताओं का सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव, अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया एक पेन ड्राईव, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिंटर, संपूर्ण ट्रेप बॉक्स सामग्री इत्यादि साथ लेकर साथ लाये हुए वाहनों जरिये प्राईवेट इन्नोवा कार नंबर आर जे 07 टीबी 3251 मय प्राईवेट चालक अनिल व निजी वाहन एसडीएम कार्यालय पूगल से रवाना होकर वक्त 11.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पहुंचा।

दिनांक 30.09.2023 को वक्त 11.30 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा प्रकरण हाजा में जब्तसुदा वजह सबूत मालखाना आईटम रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव, अन्वेषणार्थ खुला रखा गया पेन ड्राईव, धोवनों की कुल 6 सीलचिट शीशियां मार्क एल–1, एल–2, आर–1, आर–2, पी–1 व पी–2, जींस पेंट का सील्डसुदा पैकेट, सीलचिट् बरामदा रिश्वती राशि 10,000/– रुपये के नोट, ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिकॉर्ड की गई वार्ताओं का सील्डसुदा मूल मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव, अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया एक पेन ड्राईव, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर इत्यादि वास्ते जमा मालखाना करने हेतु मालखाना

प्रभारी श्री राजवीर सिंह, हैड कानिस्टेबल नंबर 115 को सुपुर्द किया गया। ताबाद परिवादी श्री भंवरलाल, प्राईवेट वाहन मय चालक को, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देशराज वरिष्ठ सहायक व श्री हरिराम तर्ड, कनिष्ठ सहायक व ट्रेप दल के सदस्यों को रुखसत किया गया।

इस प्रकार संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से परिवादी श्री भंवरलाल द्वारा श्री किशनलाल पुत्र श्री रामदेव मोची व श्रीमती जशोदा पत्नी श्री किशनलाल, निवासी पूगल, जिला बीकानेर से जरिए इकरारनामा व मुख्त्यारनामा आम के क्रय की गई भूमि की खातेदारी सनद देने की एवज में आरोपी श्री गोविन्द प्रसाद ओझा निजी सहायक ।।, अतिरिक्त चार्ज पेशकार कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा 20,000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 13,000/– रुपये लेने हेतु सहमत होना, पूर्व में दिये गये 5,000/– रुपये कम करने का निवेदन करने पर आरोपी श्री गोविंद प्रसाद ओझा द्वारा 10,000/– रूपये रिश्वत राशि लेने के लिए सहमत होना, दिनांक 27.09.2023 को आरोपी अली खां द्वारा परिवादी से उसके कार्य से अवगत होते हुए उसके कार्य के संबंध में विस्तृत वार्ता कर आरोपी गोविंद प्रसाद ओझा को रिश्वत राशि दिलाने के लिए प्रयास करना, तत्पश्चात् दिनांक 29.09.2023 को आरोपी श्री गोविंद प्रसाद ओझा की मौजूदगी में श्री अली खान ड्राईवर द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल से उसके कार्य के संबंध में व रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता करते हुए आरोपी श्री गोविन्द प्रसाद ओझा को कहा कि ले लो ले लो यहीं ले लो, टेंशन ना लो मैं हूं, यह कहते हुए अली ने परिवादी श्री भंवरलाल को कहा कि अठे ही दे दो। जिस पर आरोपी श्री गोविन्द प्रसाद ओझा द्वारा चालाकी दिखाते हुए ऐहतियात बरती गई। तत्पश्चात् आरोपी अली खान ने श्री गोविन्द प्रसाद ओझा को कहा कि मेरो आदमी है थे टेंशन मत लो। उसके बाद आरोपी अली खान द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल के साथ में उपखण्ड कार्यालय के बाहर जाकर परिवादी की ओर हाथ से पैसे देने का इशारा करना व यह कहना कि दे दो। जिस पर परिवादी श्री भंवरलाल के रिश्वत राशि देने जाते समय आरोपी श्री नारायणराम द्वारा परिवादी श्री भंवरलाल से 10000/–रूपये रिश्वत राशि मांगकर प्राप्त की गई। श्री नारायणराम द्वारा आरोपीगण श्री गोविंद प्रसाद ओझा व अली खान ड्राईवर के मध्य पूर्व में हुई वार्तानुसार उक्त रिश्वत राशि श्री अली खान ड्राईवर के कहने पर परिवादी श्री भंवरलाल से प्राप्त की गई, जो आरोपी श्री नारायणराम के कब्जे से उसके पहनी हुई जींस की दाहिनी जेब से रूबरू गवाहान बरामद की गई। आरोपी श्री नारायण राम के बांये हाथ की अंगुलिया व अंगूठे का धोवन मटमैला, दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे के धोवन तथा पहनी हुई जींस पेन्ट की दाहिनी जेब के धोवन में हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है। प्रकरण में मुख्य आरोपी श्री गोविंद प्रसाद ओझा व आरोपी अली खान ड्राईवर दोनों ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने पर फरार हो गये। आरोपीगण **(1) श्री गोविन्द प्रसाद ओझा पुत्र श्री छगनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 29 वर्ष निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर पुलिस थाना बीछवाल हाल निजी सहायक–।। अतिरिक्त चार्ज पेशकार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर (2) श्री नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, जाति नायक, उम्र 45 वर्ष, निवासी गांव खारा तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूगल हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर (3) श्री अली खां पुत्र श्री युसुफ खां, जाति मुसलमान, उम्र 44 साल, पेशा चालक, निवासी भणावतवाला, पुलिस थाना पूगल, जिला बीकानेर, हाल आर डी 682, पुलिस थाना पूगल, हाल वाहन चालक (प्राईवेट/अस्थायी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर** द्वारा उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018, सपठित धारा 120 बी भा.दं.सं. का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। अतः बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते पंजीयन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(श्रवण कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर

पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री श्रवण कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भा.द.स. में आरोपीगण 1. श्री गोविन्द प्रसाद औझा पुत्र श्री छगन लाल, निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर, पुलिस थाना बीछवाल, हाल निजी सहायक-II अतिरिक्त चार्ज पेशकार, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर 2. श्री नारायणराम पुत्र श्री मघाराम, निवासी गांव खारा, तहसील व जिला बीकानेर हाल सहायक कर्मचारी, राजकीय सीनियर सैकेण्डरी स्कूल पूगल, हाल प्रतिनियुक्त कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पूगल जिला बीकानेर एवं 3. श्री अली खां पुत्र श्री युसुफ खां, निवासी भणावतवाला, पुलिस थाना पूगल, जिला बीकानेर, हाल आर डी 682 पुलिस थाना पूगल, हाल वाहन चालक (प्राईवेट/अस्थायी) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 263/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

1.10.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2880-84 दिनांकः 01.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. जिला कलक्टर बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

1.10.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।